न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :– श्री जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.
प्रकरण संख्या 24/2024

मो. अजहर पुत्र खान मोहम्मद जाति राठ निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ

प्रार्थी

बनाम

1. सुल्तान खान उर्फ खान पुत्र बुल्ला जाति राठ निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ
2. मो. जफर पुत्र खान मोहम्मद जाति राठ निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ
3. मो. नजर पुत्र खान मोहम्मद जाति राठ निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ
4. तहसीलदार राजस्व, संगरिया

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत प्रस्तत किया जिसके सक्षिप्त तथ्य निम्नप्रकार से है कि अप्रार्थी प्रार्थी का पिता है। अप्रार्थी के नाम से चक 1 आरआरडब्ल्यू पटवार हल्का मानकसर व चक 2 आरआरडब्ल्यू में कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं. 1 के नाम से चक 1 आरआरडब्ल्यू में खाता सं. 120/92 में 7609 है. कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रतिलिपि जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपनी समस्त कृषि भूमि का घराघरू बंटवारानामा अरसादर्जा पूर्व कर दिया था और प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने अपने हक व हिस्सा में आयी कृषि भूमि पर लगातार व निर्विवाद रूप से काबिज चले आ रहे है, इस संदर्भ में अप्रार्थी सं. 1 द्वारा किए गए घरू बंटवारा की लिखित दिनांक 06.05.2017 को बरोबरू ग्वाहन करके प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण के सुपुर्द कर दी प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 द्वारा किए गए घरू बंटवारा के अनुरूप ही काबिज चले आ रहे हैं जिस संदर्भ में कोई विवाद नहीं है। यह कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से चक 1 आरआरडब्ल्यू के खाता सं. 120/92 खाता जानी मो. में कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। मुताबिक घरू बंटवारा के अप्रार्थी सं. 01 द्वारा प्रार्थी को चक 1 आरआरडब्ल्यू प.नं. 142/228 मु.नं. 33 कि.नं. 21 में 165x23 फुट जो कि 23 फुट दिषा दक्षिण की साईड तथा प.नं. 141/229 मु.न 55 के किला नं. 5,6,15,16 एवं किला नं. 24 में **165 x103** फीट जो कि 103 दिशा पूर्व की साईड की एवं पत्थर नं. 141/230 मुरब्बा नं. 56 के किला नं. 4 व 7 कुल तदादी 6 बीघा 20 फीट चौड़ी व 165 फीट लंबी अर्थात 6 बीघा . 029है. कृषि भूमि दी गई। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा दिनांक 06.05.2017 को इस संदर्भ में एक लिखित की गई यह लिखित पूर्व में किए गए घरू बंटवारा की याददाष्त के तौर पर की गई थी क्योंकि इससे पूर्व अप्रार्थी सं. 1 द्वारा वर्ष 2002 में ही कृषि भूमि का बंटवारा कर के दिया था प्रार्थी इस कृषि भूमि पर लगातार व निर्विवाद रूप से काबिज चला आ रहा है जिस संदर्भ में आज तक किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। यह कि वाद पत्र की चरण

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner

सं. 4 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है जो प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं. 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस कृषि भूमि में प्रार्थी का हक व हिस्सा बनता है जिसके अनुरूप अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थी को उसके हक व हिस्सा अनुसार कृषि भूमि दे दी गई। जिस पर प्रार्थी बिना किसी विवाद के काविज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से कई बार निवेदन किया कि वे चल प्रार्थी को घरू बंटवारा के मुताबिक हक व हिस्सा में आयी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा देवे। प्रार्थी घरू बंटवारा के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। अप्रार्थी सं. 1 अप्रार्थी सं. 2 व 3 के प्रभाव में है जिस कारण अप्रार्थी सं. 2 व 3 अप्रार्थी सं. 1 के भोलेपन का नाजायज फायदा उठाते हुए कृषि भूमि को दीगर व्यक्तियों का रहन बैय करने के लिए प्रयासरत है तथा प्रार्थीगण सरेआम धमकी दे रहे है कि वे अपने नाम का गलत व मनमाना फायदा उठाते हुए कृषि भूमि का अयंतत्र विक्रय कर देंगे तथा इस हेतु अप्रार्थीगण द्वारा कुछ बदमाश किस्म के लोगों से वार्ता भी प्रारम्भ कर दी है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा पूर्व में चक 2 आर आर डब्ल्यू की कृषि भूमि का विक्रय कर दिया है तथा अब अप्रार्थी चक 1 आर आर डब्ल्यू की कृषि भूमि को विक्रय करने के लिए प्रयासरत है। कृषि भूमि प्रार्थी की कब्जाकाष्त में है यदि अप्रार्थी अपने नाम का गलत व मनमाना फायदा उठाते हुए कृषि भूमि का विक्रय कर देते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी प्रार्थी अपने विधिक व साम्पत्तिक अधिकारों से वंछित हो जाएगा। अप्रार्थीगण द्वारा यह कृषिभूमि का विक्रय कर प्रार्थी से कब्जा छिन लिया जाता है तो प्रार्थी को कभी न पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपूर्णीय क्षति के बिंदू प्रार्थी के पक्ष में है। कृषि भूमि पर प्रार्थी का निर्विवाद रूप से कब्जा है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अप्रार्थी के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि अप्रार्थी प्रार्थी के अधिपत्य में किसी प्रकार की दखलअंदाजी करने व कृषि भूमि का अयंतत्र रहन बैय करने से निषेध रहें।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि अप्रार्थी चक 1 आर आरडब्ल्यू के खाता सं. 120/92 में दर्ज अपने नाम की कृषि भूमि जो उनके द्वारा घरूबंटवारा में प्रार्थी को प्राप्त हुई है में प्रार्थी के अधिपत्य में किसी प्रकार की दखलअंदाजी करने व कृषि भूमि का अंयतत्र रहन बैय करने से निषेध रहें।

उक्त प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जांकर एक पक्षीय बहस सुनने के बाद अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी 1 ने जरिये अधिवक्ता अपना जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 1 आरआरडब्ल्यू के खाता संख्या 120/92 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 में अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जा काश्त की कृषि भूमि प.न. 141/228 मु.न. 32 किला न . 6,15,16,25 प.न.

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

142/228 मु.न. 33 किला नं. 11, 20, 21 व प.न. 141/230 मु.न. 56 किला नं. 3, 4,7,8 एवं प.न. 141/229 मु.न. 55 किला नं. 4 से 7, 14 से 17, 24 कुल 20 बीघा भूमि के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की दखलअंदाजी करने से निषिद रहने तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जाने का कथन करते हुए अपना जवाब प्रस्तुत किया।

प्रार्थी अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो का दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा 100/– रूपये के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर किये गये घरू बंटवारा की लिखित दिनांक 06.05.2017 को बरोबरू गवाहान करके प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण के सुपुर्द कर दी एव प्रार्थी व अप्रार्थीगण घरू बंटवारा के अनुरूप काबिज चले आ रही भूमि पर पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 03.05.2024 को अनवरत किया जाकर ताफैसला कन्फर्म किया जाने के कथन किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी अभिभाषक ने लिखित बहस पेश की गई।

बहस उभयपक्ष पर भली भांति मनन किया गया। पत्रावली व पेश प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का गहराई से अध्ययन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज करने का निवेदन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा सन्तुलन अपूर्णीयक्षति पर विचरण किया गया। उभय पक्ष की बहस व पत्रावाली के अवलोकन से उक्त बिन्दु उभय के पक्ष में तय किये जाते है। वाद बहुलता को रोकने एवं वादगत सम्पति की संरक्षा हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा इस आशय की कन्फर्म कि जाती है कि उभय पक्ष चक 1 आरआरडब्ल्यू के खाता संख्या 120/92 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 में सुलतान खान पुत्र बुला जाति राठ सा.नवा गैर खातेदार के नाम दर्ज आराजी के रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखेंगें साथ ही उभय पक्ष एक दूसरे की कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी करने से भी निषेध रहेगे तथा अप्रार्थी संख्या 1 गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की कार्यवाही हेतु पूर्णतया स्वतंत्र रहेंगे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रार्थना पत्र 212 मूल वाद के साथ संलग्न रहे। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

यह आदेश आज दिनांक 17.4.2025 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी कर सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
एवं उपखंड अधिकारी,
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner